232

सख्या — /XXIV(6)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
श्री देव समन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 20 मार्च, 2013

विषय आलोच्य वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आयोजनागत पक्ष में विश्वविद्यालय के कार्यालय हेतु नवीनीकरण करने एवं परिवर्तन परिवर्धन हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कुलपति श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी के पत्र संख्या : वित्त–सा0/160 दिनांक 13,फरवरी 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बादशाहीथौल (चम्बा) स्थित पूर्व महाविद्यालय भवनों को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कार्यालय हेतु नवीनीकरण करने एवं परिवर्तन परिवर्धन करने उ0प्र0रा0निर्माण निगम लि0 टिहरी द्वारा निर्मित आंगणन ₹ 225.42 लाख वित्त विभाग के माध्यम से टी0ए0सी0 से परीक्षण कराये जाने हेतु उपलब्ध कराया है।

2– प्रश्नगत् प्रकरण का शासन स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत् कार्यो हेतु प्रस्तुत आंगणन ₹ 225.42 लाख में आंकलित धनराशि ₹ 118.74 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त **₹ 01,13,51,000/– (₹ एक करोड़ तेरह लाख इक्यावन हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी0एम0 15 के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किए जाने तथा शेष धनराशि ₹ 106.68 लाख के कार्यो को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। किसी भी दशा में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें, निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 2047/xiv–219(2006) दिनांक 30,मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(10) आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

2– निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमन्य दरों पर कराया जाय एवं विशेष रूप से किये जाने वाले कार्यों की गणना पृथक रूप से आगणन में की जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रुप से उत्तरदायी मानी जायेगी।

3– इस अनुदान के **बिल पर मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगें।** उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के लिए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28,जुलाई 2009 में विहित शर्तो के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा ।

4– व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0 एस0एण्डडी0 की दर तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा।

5– स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

6– निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 475/xxvii(7)/2007 दिनांक 15,दिसम्बर–2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U. हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत संलग्न पुर्नविनियोग प्रपत्र बी0एम0–15 कॉलम–5 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक ईकाई के नाम डाला जायेगा तथा पुर्नविनियोग प्रपत्र कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 281(P)/xxvii(3)/2012–13 दिनांक 20, मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या : 50(4)/XXIV(6)/2013 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
3. जिलाधिकारी टिहरी ।
4. कोषाधिकारी, टिहरी ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी,, टिहरी
6. ✓ निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
7. इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 नई टिहरी को टीएसी द्वारा आंगणन की परीक्षित प्रतियों सहित ।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
10. वित्तीय डाटा सेंटर, 23–लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून ।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2012-2013)
वी .एम. - 09

अनुदान संख्या - 011
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 50(4)/xxiv(6)/2013

अलोटमेंट आईडी - R1303110221
दिनांक - 19-Mar-2013

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखासिर्शक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी हे (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी (7)	अभियुक्ति
	4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव 01 सामान्य शिक्षा 203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 17 मुक्त विश्व विद्यालय 00 मुक्त विश्व विद्यालय (Plan Voted)				4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंज 01 सामान्य शिक्षा 203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 18 एफीलेटिंग विश्व विद्यालय 00 एफीलेटिंग विश्व विद्यालय (Plan Voted)			
1	35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों क 40000000	0	28649000	11351000	35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन 11351000	11352000	28649000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 15 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी जाय

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3
पत्रांक : 281 (N.P.) (1)/xxvii(3)/2013-13
देहरादून दिनांक 20 मार्च–2013

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड,
ओबराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून ।

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(रमेश चन्द्र अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त

पृष्ठांकन संख्या : /xxxiv(6)/2013 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी ।
3. कोषाधिकारी, टिहरी ।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव।